प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com. Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 3067 /12–1 देहरादूनःदिनांकः 30 जून, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

2700
14/8/25
22 माता

वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में नाघर–कुमलता से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/8930/2014)

संदर्भः–उत्तरखण्ड शासन का पत्रांक 153/X-4-15/1(74)/2015 दिनांक 30.03.2015.

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 3145/12–1(2) दिनांक 28.05.2025 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार सलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या 100 में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 8,00,000.00 मात्र धनराशि जमा कर दी गयी है। **संलग्नक–1**
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा रू0 11,24,004/– मात्र की धनराशि जमा कर दी गयी है। **संलग्नक–2**
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0पी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार धनराशि जमा करा दी जायेगी। **संलग्नक–3**
4.	भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0वी0 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार को उपकर्म) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि रू0. 19,24,004.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है। **संलग्नक–1 व 2 के अनुसार**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–565 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–9/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25230 कार्पोरेशन बैंक, भारत सरकार को उपकर्म ब्लाक–11 भूतल सि0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जाम कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैक ड्राफ्ट/चैक की	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की समस्त मदों की धनराशि जमा कर दी गयी है। विवरण संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है। **संलग्नक–1 व 2 के अनुसार**

	छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जाम की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशि का विवरण, दिया गया हो उपलब्ध करये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की सस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भू–वैज्ञानिक की शर्तें मान्य होने के प्रमाण पत्र संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है। **संलग्नक–4**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होन की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समसत आवष्यक अभिलेखों/प्रपत्रां को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। **संलग्नक–5**
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड्ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3067/ 12-1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड्ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

दूरभाष / फैक्स नं0 05964—225115 E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

पत्रांक 306 / 22 ए/a/10 दिनांक : 3 / 02 / 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ।

विषय : पिथौरागढ में नाघर कुमलता से गंगासेरी मेाटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में, प्रपोजल नं0 : FP/UK/ROAD/8930/2014

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद पिथौरागढ में नाघर कुमलता से गंगासेरी मेाटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के औपचारिक आदेश दिनांक 30.03.2015 की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराते हुए वन (संरक्षण एंव संवर्धन) अधिनियम 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—8 एंव 9 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः वाछित प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी
क्र सं0 4679
पत्रावली 12-1
तिथि 05/02/26
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

सामान्य
उ० आ० का० कर

उ० व० अ०

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़
3-02-2026

पत्रांक दिनांकित —

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित —

1. प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन सरंक्षण , उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. सहायक अभियन्ता , प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
पिथौरागढ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

पत्रांक /22 याता

दिनांक /02/2026

विषयः—जनपद—पिथौरागढ़ में नाघर कुमलता से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819है0 सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रपोजल नं0:— **FP/UK/ROAD/8930/2014**

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7, 8 एवं 9 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 7 :— प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियमए 2008 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा, **की शर्त मान्य है।**

शर्त संख्या 8 :— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, **की शर्त मान्य है।**

शर्त संख्या 9 :— उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी, **की शर्त मान्य है।**

02/2/25

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

संख्याः 1657 /X-3-25/01(74)/2015-E-90887

प्रेषक,

हेमा पाण्डे,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

वन अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 26 अगस्त, 2025

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में नाघर–कुमल्टा से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है0 सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–3067, दिनांक–30.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ में नाघर–कुमल्टा से गंगारोरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है0 सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन संबंधी प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक–30.03.2015 की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराते हुये प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार अग्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबध में अवगत कराना है कि उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में शर्त संख्या–07 एवं 09 से संबधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये है, अतः वांछित प्रमाण पत्र शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

Digitally signed by
Hema Pandey
Date: 25-08-2025
10:39:49

भवदीया,

(हेमा पाण्डे)
उपसचिव।

संख्या: 153 /X-4-15/1(74)/2015

प्रेषक,

पी0के0पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषय: **जनपद-पिथौरागढ़ में नाचर-कुमल्टा से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819, है0 सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26257/FP/UK/ROAD/8930/2014 दिनांक 20 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-पिथौरागढ़ में नाचर-कुमल्टा से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819, है0 सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या (100) में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
4. भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0- 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

क्रमश.....2

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्राव्धानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0 पात्रो)
अपर सचिव।

संख्या: 153 (1)/ X-4–15/1(74)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।